संख्या–भा.स.– 121 /81–2–2020–800(60)/2020

प्रेषक,

आर0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक // सितम्बर, 2020**

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.101 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैरवानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बांस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बांस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बांस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बांस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित कल योग–89.632 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों 511 बांस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बांस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–8बी/यूपी/04/90/2020/एफसी/1875 दिनांक 08.09.2020 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई है, जो निम्नवत है :–

1- NOC of NHAI & Railways needs to be submitted.
2- NBWL clearance needs to be provided.
3- The net suitable area for plantation as per GIS-DSS analysisi is 176.0 ha. which is less than actual required CA land area.
4- As per provided kml file of CA land, small patches of agriculture field have been observed in Obra & Kaimur Division, this needs to be clarified.
5- As per Google Earth Imageries in CA land polygon of Varansi Division, plantation activity has been observed, this needs to be clarified.

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 01.09.2020 में उल्लिखित कमियों का निराकरण कर आख्या/तत्सम्बन्धी अभिलेख अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO